Bal Sanrakshan Chakra
CORONAKAAL

कोरोना काल और बाल संरक्षण

ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति की भूमिका से सम्बंधित प्रशिक्षण

unicef
for every child

CHILD LINE 1098 NIGHT & DAY

Lehar

प्रशिक्षण पुस्तिका का परिचय / ओरीएन्टेशन

प्रशिक्षण पुस्तिका की एक झलक

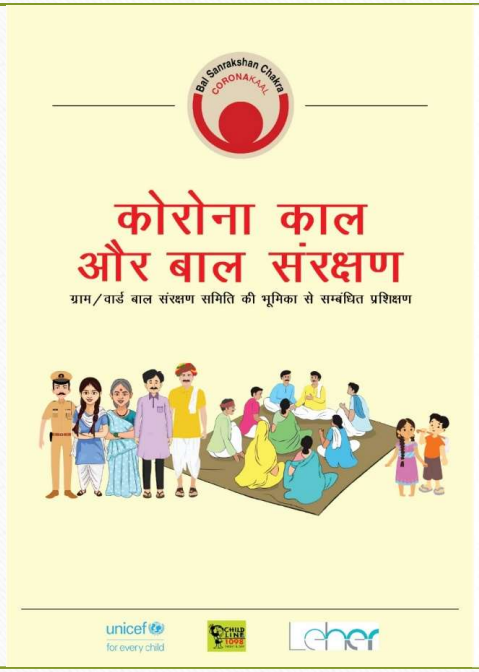

विषय सूची

कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी और बच्चे 3
प्रशिक्षण पुस्तिका परिचय 6
प्रशिक्षण पुस्तिका- भाग एक 10
पहला सत्र :प्रशिक्षण का उद्देश्य और परिचय 11
दूसरा सत्र: ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति का गठन एवं कार्य 14
तीसरा सत्र : कोरोना काल में हमारे शुभचिंतक और सहायक 20
चौथा सत्र: कोरोना काल में बच्चों से जुड़े कुछ ज्वलंत मुद्दे (बाल मजदूरी व बाल विवाह.. आदि)24
पाँचवां सत्र: बाल संरक्षण प्रयासों की देखरेख व निगरानी 30
छठां सत्र: सर्किल(सबल बनाने वाला घेरा): इसका उद्देश्य और प्रक्रियाएं 36
सातवां सत्र: वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की कार्य योजना 41
प्रशिक्षण पुस्तिका - भाग दो 44
पहला सत्र :प्रशिक्षण का उद्देश्य तथा परिचय 45
दूसरा सत्र: ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति का गठन एवं कार्य तथा कोरोना काल में हमारे शुभचिंतक और सहायक 47
तीसरा सत्र: i-कोरोना काल में बच्चों से जुड़े ज्वलंत मुद्दे व इनकी निगरानी
ii- सर्किल/घेरा 52
चौथा सत्र: वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की कार्य योजना 61
अनुलग्नक: A- बाल संरक्षण से जुड़े प्रमुख कानून व योजनायें 64
अनुलग्नक: B- पी.एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 86
लहर 91

प्रथम अध्याय: कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी व बच्चे

- कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी का परिवार तथा बच्चों व महिलाओं पर हुए असर के बारे में चर्चा

'घर – परिवार जो कि बच्चे की सुरक्षा (सेफ्टी) और संरक्षा (प्रोटेक्शन) की पहली पंक्ति होती है , वह भी कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी से जुड़े दुष्प्रभावों और तनावों के कारण गहरे संकट में आ गया है तथा इसका सबसे बुरा असर बच्चों और महिलाओं पर पड़ रहा है ".

ऐसे में ज़रूरी है कि समुदाय और समुदाय आधारित संगठन व ढांचे (जैसे ग्राम स्तर बाल संरक्षण समिति /ब्लाक स्तर बाल संरक्षण समिति) बच्चो की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर लें और सुनिश्चित करें कि हर बच्चा बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल व्यापार, यौन दुर्व्यहार से बचा रहे और उसकी पढाई में पड़ा व्यवधान जल्द से जल्द दूर हो और बच्चा पुनः स्कूल जाने लगे । अगर किसी बच्चे के माता या पिता में से किसी एक या फिर दोनों की वैश्विक महामारी के कारण मृत्यु हो गई हो तो उसके भी देख- रेख व पुनर्वास की व्यवस्था की जिम्मेदारी ये समुदाय आधारित संगठन अपने ऊपर लें । वैश्विक महामारी के दुष्प्रभावों के कारण बच्चों के मानसिक स्वास्थय की स्थिति भी काफी सोचनीय है, अतः इन संगठनों को इस दिशा में भी जल्द पहल करनी चाहिए ताकि मानसिक व शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहते हुए बच्चे अपने समुचित विकास की ओर अग्रसर हो सकें ।

प्रशिक्षण पुस्तिका क्यों ? किसके लिए ?

- **क्यों:**

कोरोना काल में बच्चों व उनके परिवारों पर आई मुश्किलों को देखते हुए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गाँव या शहर में बाल सुरक्षा का ढांचा मज़बूत किया जाय तथा गाँव तथा शहर में बाल सुरक्षा हेतु गठित ग्राम /ब्लॉक स्तर बाल सुरक्षा समितियों (वी/ डब्ल्यू.सी.पी.सी.) को कोरोना काल में उत्पन्न बाल संरक्षण के मुद्दों पर कार्य करने हेतु समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाय. इस प्रशिक्षण पुस्तिका को इसी उद्देश्य से बनाया गया है ...

- **किसके लिए:**

-समेकित बाल संरक्षण योजना(आई. सी.पी.एस) के तहत कार्यरत जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी (डी.सी.पी.ओ) व उनकी टीम या फिर उनके माध्यम से कोई संस्था/संस्थान)

-इस प्रशिक्षण पुस्तिका का प्रयोग ऐसे प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने के लिए किया जा सकता है जो फिर आगे चलकर ग्राम या ब्लॉक स्तर पर बाल सुरक्षा समितियों या उनसे जुड़े लोगों को इस विषय पर प्रशिक्षण दे सकें

प्रशिक्षण पुस्तिका में सीखने का दृष्टिकोण व प्रक्रिया

- यह प्रशिक्षण पुस्तिका अनुभव आधारित सीखने की प्रक्रिया(experiential learning) पर आधारित है. इसमें कर के सीखने पर ही सारा जोर दिया गया है. इसी उद्देश्य से हर सत्र में समूह कार्य शामिल है.
- उपयोगकर्ता इसमें दिए गए क्रियाकलापों और निर्देशों को जब अपने समुदायों की वास्तविक स्थितियों से जोड़ कर देखेंगे और स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार क्रियाकलापों का अनुकूलन कर उसका प्रयोग करेंगे तभी यह प्रशिक्षण पुस्तिका तभी अपेक्षित परिणाम दे पायेगी .
- यह प्रशिक्षण पुस्तिका प्रशिक्षकों को अपने ज़िलों के ग्राम/ब्लॉक स्तर बाल सुरक्षा समितियों (वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी.) से जुड़े सामुदायिक कार्यकर्ताओं (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, युवा, शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता ,एन.जी.ओ. स्टाफ आदि) को, 'कोरोना काल के सन्दर्भ में बाल संरक्षण के मुद्दों' पर प्रशिक्षण प्रदान करने में उपयोगी साबित होगी.
-

प्रशिक्षण पुस्तिका की संरचना व प्रयोग

- इस प्रशिक्षण पुस्तिका के मूलत दो भाग हैं,परन्तु पहले और दूसरे भाग आपस में जुड़े नहीं हैं.
- यह दोनों भाग एक ही विषय पर स्वतंत्र प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु तैयार किये गए हैं .
- दोनों भागों में अंतर यह है कि पहला भाग एक दिन की कार्यशाला हेतु निर्मित है तथा दूसरा भाग आधे दिन की कार्यशाला हेतु निर्मित है.

प्रशिक्षण पुस्तिका : भाग एक

इस भाग में कुल 5 घंटे के प्रशिक्षण हेतु सामग्री शामिल है जिसे एक कार्य दिवस के भीतर पूरा किया जा सकता है .
इस भाग में सात सत्र शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:-

- पहला सत्र : प्रशिक्षण का उद्देश्य और परिचय
- दूसरा सत्र : ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति का गठन एवं कार्य
- तीसरा सत्र : कोरोना काल में हमारे शुभचिंतक और सहायक
- चौथा सत्र :कोरोना काल में बच्चों से जुड़े कुछ ज्वलंत मुद्दे (बाल मजदूरी,बाल विवाह.. आदि)
- पाँचवां सत्र : बाल संरक्षण प्रयासों की देखरेख व निगरानी
- छठां सत्र : सर्किल/घेरा
- सातवां सत्र : वी / डब्लू. सी.पी.सी की कार्य योजना (समापन सत्र)

प्रशिक्षण पुस्तिका : भाग दो

इस भाग में कुल 2 घंटे के प्रशिक्षण हेतु सामग्री शामिल है जिसे आधे कार्य दिवस के भीतर पूरा किया जा सकता है . इस भाग में चार सत्र शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

- पहला सत्र: प्रशिक्षण का उद्देश्य तथा परिचय
- दूसरा सत्र:

  i.ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति का गठन एवं कार्य तथा बाल संरक्षण प्रयासों की देखरेख व निगरानी में इसकी भूमिका

  ii.कोरोना काल में हमारे शुभचिंतक और सहायक
- तीसरा सत्र:

  i.कोरोना काल में बच्चों से जुड़े कुछ ज्वलंत मुद्दे (बाल मजदूरी,बाल विवाह.. आदि)

  ii-सर्किल/घेरा
- चौथा सत्र : वी/ डब्ल्यू.सी.पी.सी की कार्य योजना

अनुलग्नक

- प्रशिक्षण पुस्तिका के अंत में अनुलग्नक दिए गये हैं जिसमें निम्नलिखित विषयों पर जानकारियां दी गई है :
- 1- बाल संरक्षण से जुड़े कुछ कानून
- 2- बाल संरक्षण से जुड़े कुछ कार्यक्रम/स्कीम.

यह जानकारियां प्रशिक्षण सत्रों को चलाने में सहायक होंगी. ज़रुरत पड़ने पर इस जानकारियों को सहभागियों के साथ भी साझा किया जा सकता है ताकि वे भी इसे पढ़ कर अपने आप को इस विषय पर कार्य करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकें .

फिल्म श्रृंखला व पोस्टर आदि का प्रशिक्षण में उपयोग

- इस प्रशिक्षण पुस्तिका में पांच विषय आधारित फिल्मों तथा कई पोस्टरों का अलग-अलग सत्रों में प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.
- ये फिल्में और पोस्टर इस प्रशिक्षण पुस्तिका का हिस्सा हैं.

आमतौर पर यह फिल्में निर्देशानुसार बताये गए सत्र व समय पर ही चलाई जानी चाहिए,परन्तु अगर ज़रुरत पड़े तो इन फिल्मों को बीच में चर्चा के लिए रोका या आगे-पीछे भी दिखाया जा सकता है.

गाँव –मोहल्लों में जब कभी भी बहुत कम समय में 'कोरोना व बाल संरक्षण विषय पर' लोगों तक ठोस सन्देश पहुचना हो तो , सिर्फ ये फिल्में दिखा कर इन पर चर्चा करना भी बाल सुरक्षा जाल को मज़बूत करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है.

प्रशिक्षकों के लिए सामान्य निर्देश

इस प्रशिक्षण पुस्तिका में प्रशिक्षकों के लिए सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं

- प्रशिक्षकों से अनुरोध है कि वे प्रशिक्षण आरम्भ करने से पहले प्रशिक्षण पुस्तिका में दी गई जानकारी तथा निर्देशों को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके साथ ही अनुलग्नक में दी गई जानकारी को भी पूरा पढ़ें .
- प्रत्येक सत्र के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची सत्र-योजना के साथ ही दी गई है . इसे ध्यान पढ़ें तथा प्रत्येक सत्र के लिए सभी आवश्यक स्टेशनरी तथा श्रव्य -दृश्य उपकरण(audio visual equipment) की व्यवस्था पहले से ही कर लें।
- प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विडियो तथा ऑडियो सामग्रियों को भी पहले से ही एकत्रित कर लें।
- अनुलग्नक (annexture) में दिए गए सामग्रियों की सहायता से जहाँ भी निर्दशित / आवश्यक हो पॉवर-पॉइंट प्रस्तुति पहले से ही तैयार कर लें . जहां भी आवश्यक हो उद्धरण तथा स्थानीय आंकड़े का उपयोग करें।
- सभी सहभागियों को समूह में सक्रिय रखें तथा इस बात का ध्यान रखें कि सभी सहभागी खुली चर्चा या समूह चर्चा में सक्रिय व सामान रूप से भाग लें ।
- प्रशिक्षण के दौरान सवाल–जवाब के लिए उचित समय दें।
- प्रत्येक सत्र के अंत में सत्र का सार संलग्न पोस्टरों या किसी भी अन्य माध्यम से ज़रूर साझा करें.

प्रशिक्षण पुस्तिका- भाग एक

पहला सत्र :प्रशिक्षण का उद्देश्य और परिचय

सत्र का उद्देश्य:

- प्रशिक्षण की ज़रुरत और उद्देश्य पर चर्चा
- प्रतिभागियों का परिचय
- संकोच दूर करना
- कार्यशाला से सहभागियों की उम्मीदें जानना

सत्र की कुल अवधि : 30 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सामग्री
1	प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा (आयोजक/ प्रशिक्षक/फैसिलिटेटर द्वारा)	7 मिनट	-अनुरूपण अभ्यास / उर्जावर्धक खेल का विवरण -बड़े आकार का पोस्ट इट -पेन/पेंसिल
2	परिचय/अनुरूपण अभ्यास (जोड़ी-परिचय खेल)	17 मिनट	
3	हमारी उम्मीदें -पोस्ट इट क्रियाकलाप (कार्यशाला से सहभागियों की उम्मीदें जानने हेतु)	6 मिनट	

दूसरा सत्र: ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति का गठन एवं कार्य

सत्र का उद्देश्य :

- कोरोना लाकडाउन का बच्चों (और समुदाय) पर असर की पहचान
- यह पता लगाना कि इन मुद्दों पर हम सामूहिक रूप में क्या कर सकते हैं ताकि बच्चों को उनके अधिकार मिल सकें
- ग्राम/वार्ड स्तर बाल सरक्षण समिति के बारे में जानकारी का स्तर मालूम कर समुचित जानकारी देना, खास कर उसके गठन और कार्यों के बारे में जानकारी देना
- ग्राम/वार्ड स्तर बाल सरक्षण समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों,मूल्यों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों पर चर्चा करना

सत्र की कुल अवधि : 60 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सामग्री
1.	कोरोना वृक्ष अभ्यास : इसके द्वारा *कोरोना विश्वव्यापी महामारी का बच्चों (और समुदाय) पर असर- अर्थात बच्चों (और समुदाय) पर आई मुश्किलों या विपत्तियों की पहचान करना, उनका कारण क्या है यह जानना , तथा उनका हल हम कैसे कर सकते हैं इसका पता लगाना ताकि बच्चों को उनके अधिकार दिलाये जा सकें .*	22 मिनट	- फिल्म -1 (बाल सरक्षण समिति का गठन) फ्लिप-चार्ट पेपरचार्ट/ पेपर - मार्कर पेन -टेप (चिपकाने वाला) -प्रोजेक्टर और स्क्रीन -माइक -लैपटॉप
2.	मानव गॉठ (human knot) खेल – सन्देश- हम सब मिलकर अपनी समस्यायें बेहतर ढंग से और जल्द सुलझा सकते हैं .यह बेहतर संघर्ष समाधान का भी एक तरीका है .	15 मिनट	
3.	फिल्म -1 (बाल सरक्षण समिति का गठन) (यह फिल्म देखना)	10 मिनट	- कोरोना वृक्ष का बड़ा चित्र-चार्ट पेपर पर (5 कापी)
4.	बाल सरक्षण समिति के गठन एवं कार्यों के बारे में संक्षेप में चर्चा (खास कर मार्गदर्शक सिद्धांत,कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां आदि)	10 मिनट	- बाल सरक्षण समिति के **गठन एवं कार्यों के बारे में** पोस्टर
5.	सत्र का सार (पोस्टर की सहायता से)	3 मिनट	

तीसरा सत्र : कोरोना काल में हमारे शुभचिंतक और सहायक

सत्र का उद्देश्य:

कोरोना काल मे हमारे शुभचितकों और सहायकों की पहचान और उनसे उम्मीदों पर चर्चा

सत्र की कुल अवधि : 40 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सामग्री
1.	**फिल्म -2** : 'कोरोना काल में परिवार और समाज के सहायक '(यह फिल्म देखना)	9 मिनट	- फिल्म -2 : 'कोरोना काल में परिवार और समाज के सहायक -फ्लिप चार्ट पेपर - मार्कर पेन - विभिन्न आकारों के रंगीन कागज के गोल टुकड़े (चपाती) -चार्ट पेपर (विभिन्न रंगों के) -टेप (चिपकाने वाला) -छोटी कैंची (5) -प्रोजेक्टर और स्क्रीन -माइक -लैपटॉप - कोरोना काल में हमारे सहायकों की पहचान और उनसे उमीदों पर पोस्टर
2.	चपाती चित्र अभ्यास एवं प्रस्तुतीकरण : a. कोरोना काल में जिस जिस प्रकार की मुश्किले या बिपतियां आई/आ रही हैं उनकी सूची हमने पिछले सत्र मे बनाई थी । इस सत्र में हम उनमें से ही 4-5 मामलों / केसों की पहचान करेंगे और उनपर विस्तृत चर्चा करेंगे कि वे मामले क्या थे । b. उन मामलों/ केसों को हल करने मे(मुश्किलों /बिपतियों का सामना करने में) कौन कौन से लोग सहायक /मददगार हुए /हो सकते हैं - उनकी सूची बनाना । c. उन लोगों ने किस प्रकार से मदद पहुचाई /पहुंचा रहे हैं/पहुंचा सकते हैं.जितनी बड़ी समस्या /कठिनाई उतनी बड़ी चपाती ले केन्द्रीय रेखा के मध्य मे आई समस्या/कठिनाई लिखे , तथा केंद्रीय रेखा के ऊपर कौन मददगार हुए /हो सकते है यह लिखे , तथा वे कैसे मदद किए /कर सकते हैं यह केन्द्रीय रेखा के नीचे लिखे	28 मिनट	
3.	सत्र का सार (पोस्टर की सहायता से)	3 मिनट	

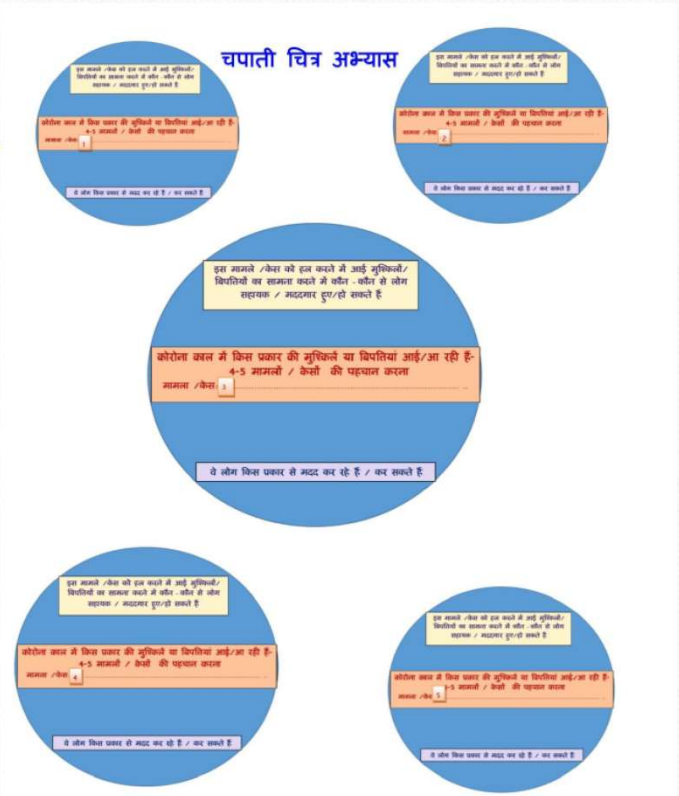

चौथा सत्र: कोरोना काल में बच्चों से जुड़े कुछ ज्वलंत मुद्दे (बाल मजदूरी व बाल विवाह.. आदि)

सत्र का उद्देश्य : कोरोना काल मे बाल मजदूरी, बाल विवाह सहित ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दों का बच्चों की शारीरिक तथा मानसिक सेहत और विकास के ऊपर पड़े असर के बारे में जान कर ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों चर्चा करना.

सत्र की कुल अवधि : 50 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सामग्री
1.	खुली चर्चा : महामारी की अवधि के दौरान बाल संरक्षण की प्रमुख चुनौतियों / मुद्दों का पता लगाने के लिए. चर्चा बिंदु: - कोरोना महामारी के दौरान ऐसी कौन सी चुनौती /मुद्दा समुदाय में दिखा / बढ़ा है? जिसका बच्चों की शारीरिक - मानसिक स्तिथि और विकास पर बुरा असर पड़ा (उदाहरण के लिए कुछ मुद्दे ये हो सकते है ; बाल श्रम, बाल विवाह, शारीरिक / भावनात्मक शोषण, घरेलू हिंसा, बाल यौन शोषण / बच्चों पर ऑनलाइन दुर्व्यवहार / एलेक्ट्रोनिक गैजेट्स की लत आदि ....) (ऊपर दिए मुद्दे बस उदहारण हैं ,इनमें ऐसे अन्य सारे मुद्दों को जोड़ा जाना चाहिए) -चर्चा के उपरान्त बाल श्रम और बाल विवाह सहित कम से कम पांच मुद्दों की पहचान करना जिनपर आगे के सत्र में कार्य करना है .	8 मिनट	- फिल्म 3- बाल विवाह और बाल मजदूरी:एक दुविधा -फ्लिप चार्ट पेपर - मार्कर पेन -टेप (चिपकाने वाला) -प्रोजेक्टर और स्क्रीन -माइक -लैपटॉप - शारीर का रेखा चित्र (बॉडी चार्ट)- 5-6 कापी
2.	फिल्म 3- बाल विवाह और बाल मजदूरी:एक दुविधा- (यह फिल्म देखना)	10 मिनट	
3.	वी/ डब्ल्यू.सी.पी.सी. व समाज अन्य के लोग चिन्हित किये गए (पांच) मुद्दों को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं : इस विषय पर बॉडी चार्ट (शरीर का रेखा चित्र) अभ्यास समूह कार्य व प्रस्तुतीकरण:. हर समूह कम से कम एक चिन्हित विषय को लेगा और उस पर निम्न प्रकार से चर्चा करेगा . चर्चा बिंदु: समस्या/मुद्दा संख्या – 1...../2...../3.../4..../5..... (उदहारण के लिए समस्या/ मुद्दा- संख्या 1 अगर बाल विवाह है तो) समूह चर्चा के प्रश्न इस प्रकार होंगे: *क- क्यों होता है बाल विवाह* *ख- क्या असर पड़ता है बाल विवाह का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव /दुष्परिणाम (मानसिक-शारीरिक ,विकासात्मक..)* *ग- कैसे बाल विवाह बंद हों* *घ- कौन करायेगा बाल विवाह बंद (इसमें किसकी किसकी भूमिका होगी और क्या होगी)* *चर्चा के उपरांत सभी बिंदुओं को बॉडी चार्ट में इस प्रकार लिखना –* • *चार्ट के ऊपर - मुद्दा/समस्या* • *चेहरे पर – पॉइंट क (क्यों)-कारण* • *शारीर के अन्दर* - पॉइंट ख (बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है) • *शारीर के बाएँ तरफ – पॉइंट ग (कैसे यह समस्या दूर हो)* • *शरीर के दायें तरफ –पॉइंट घ(कौन करायेगा इस समस्या को दूर-इसमें किसकी -क्या भूमिका होगी)*	30 मिनट	
4.	सत्र का सार	2 मिनट	

पाँचवां सत्र: बाल संरक्षण प्रयासों की देखरेख व निगरानी

सत्र का उद्देश्य : गाँव /वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण से संबंधित सभी प्रयासों की उचित देख -रेख और निगरानी कैसे हो , इस बारे में बेहतर समझ विकसित कर ऐसे प्रयासों की देख - रेख और निगरानी के लिए समुचित रणनीति विकसित करना .

सत्र की कुल अवधि : 50 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	सत्र क्रिया कलाप	अवधि	सत्र सामग्री
1.	-समूह कार्य और प्रस्तुति विषय - बाल संरक्षण और विकास के मुद्दों पर गाँव/वार्ड में देखरेख व निगरानी **समूह कार्य की शुरुआत के लिए नीचे उल्लिखित संकेत दिया जा सकता है:** -स्कूलों में... उपस्थिति... मध्याह्न भोजन ..साफ़ - सफाई ,शौचालय ....शिक्षा का स्तर ... -गांव में बच्चों के लिए बिभिन्न सेवायें ... -मनोरंजन (खेल के मैदान) सुविधा - बाल विकास योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन -बच्चों के सार्वजनिक अनुकूल स्थान -आंगनवाड़ी का कार्य -परिवार व माता – पिता/अभिभावक की स्थिति -पीआरआई संस्थान का बाल संरक्षण से जुड़ाव आदि साथ ही ज़रुरत - पड़े तो वी/ डब्ल्यू सीद्वारा किए जा .सी.पी. सकने वाले कार्यों के उदाहरण भी दिये जा सकते हैं निम्नलिखित **आधार पर** समूह **चर्चा** :::::	30 मिनट	- फिल्म 4- देखरेख और निगरानी -फ्लिप चार्ट पेपर - मार्कर पेन -टेप (चिपकाने वाला) -प्रोजेक्टर और स्क्रीन -माइक -लैपटॉप

	- कहाँ ?? *अर्थात* बाल संरक्षण और विकास के मुद्दों पर गाँव/वार्ड में कहाँ – कहाँ ज़रूरत है देखरेख व निगरानी की ?? -कौन ?? कौन करेगा देखरेख व निगरानी - कैसे ?? प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए देखरेख व निगरानी कैसे किया जाना चाहिए... -कब ?? समय सीमा और आवृत्ति (कितनी बार) यदि संभव हो तो	
2.	खेल खेलना (जादूगर की पहचान)	8 मिनट
3.	फिल्म 4- देखरेख और निगरानी (यह फिल्म देखना)	9 मिनट
4.	सत्र का सार	3 मिनट

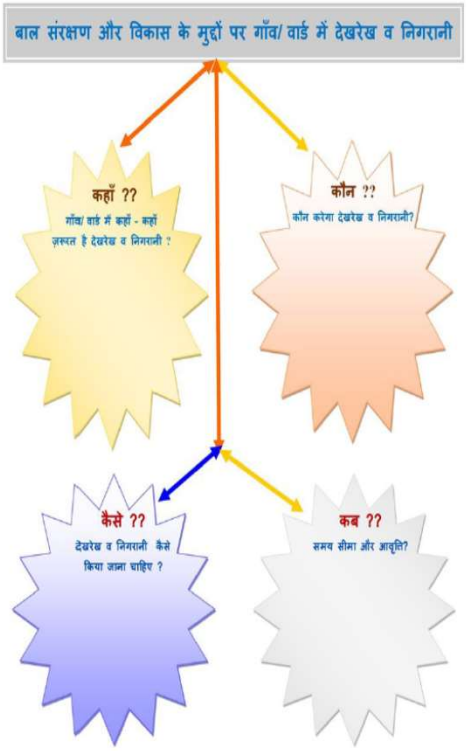

छठां सत्र: सर्किल(सबल बनाने वाला घेरा): इसका उद्देश्य और प्रक्रियाएं

सत्र का उद्देश्य :

-सर्किल/घेरा के बारे में जानना तथा इस प्रक्रिया को कर के समझना ताकि इसे बच्चों के साथ प्रयोग में लाया जा सके

सत्र की कुल अवधि : 50 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	सत्र क्रिया कलाप	अवधि	सत्र सामग्री
1.	फिल्म-5 बच्चों के साथ सर्किल (यह फिल्म देखना)	8 मिनट	- फिल्म-5 बच्चों के साथ सर्किल -फ्लिप चार्ट पेपर - मार्कर पेन -टेप(चिपकाने वाला) -प्रोजेक्टर और स्क्रीन -माइक -लैपटॉप - बहुत बड़े आकार के बैलून (20) - सर्किल पोस्टर
2.	सर्किल/घेरा – इसका उद्देश्य और प्रक्रियाएं - खुली चर्चा- (सर्किल पोस्टर के सहयोग से)	10 मिनट	
3.	रोल प्ले/ नाटक - बाल अधिकार सर्किल/ घेरा क्रियाकलाप का रोले प्ले - (सर्किल/ घेरा की प्रक्रिया को समझने और उसे आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए गतिविधि)	23 मिनट	
4.	-ब्लो द बैलून खेल (सब मिल उड़ाओ एक गुब्बारा) खेल-समूहिक कारवाई में कितनी ताकत यह समझने के लिए)	7 मिनट	
5.	सत्र का सार	2 मिनट	

फैसिलिटेटर बतायें कि सर्किल का उद्देश्य है :

- मानवीय संबंधों को पुनर्स्थापित **करना ,**
- बच्चों को बोलने के लिए एक सुरक्षित स्थान **उपलब्ध करना ,**
- बच्चों को अपनी भावनाओं को साझा **करने का अवसर देना ,**
- बच्चों को बिभिन्न **विषयों पर** चर्चा **करने ,** सहमत -असहमत **होने का माहौल देना , तथा**

- बच्चों को उनसे संबंधित किसी भी विषय /मुद्दे पर विचार/चर्चा **करने का मौका देना है .**

सातवां सत्र: वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की कार्य योजना

सत्र का उद्देश्य :

-कोरोना काल में गांव/ब्लॉक में बाल संरक्षण गतिविधियों/प्रयासों के लिए व्यक्तिगत/समूहिक जिम्मेदारी की समझ विकसित करना

-कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की एक कार्य योजना विकसित करना

सत्र की कुल अवधि : 20 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सत्र सामग्री
1.	वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की बाल संरक्षण कार्य योजना (कोरोना काल में) :समूह कार्य -वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी द्वारा कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए उठाये जाने वाले कदमों की एक सूची बनाना *-किस कार्य के लिए कौन व्यक्ति या व्यक्ति समूह जिम्मेवार होगा* *-वह कार्य कितने दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है*	13 मिनट	-फ्लिप चार्ट और मार्कर पेन -ऊन का दो बड़ा गोला(अगर ऊन का गोला न मिले तो किसी मोटे धागे या सुतली का गोला)
2.	समापन खेल -बाल सुरक्षा जाल खेल (child safety net game) :खेल के अंत में सभी भागीदार एक बाल संरक्षण जाल से जुड़ जाएंगे और इसी के साथ कार्यशाला का समापन हो जाएगा	7 मिनट	

वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की बाल संरक्षण कार्य योजना (कोरोना काल में)

क्रम संख्या	कार्य (वी/डब्ल्यू सी.पी.सी द्वारा कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए उठाये जाने वाले कदमों की सूची)	जिम्मेदारी (इस कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्ति समूह)	समय सीमा (कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
समूह के सभी सदस्यों के नाम:			

प्रशिक्षण पुस्तिका - भाग दो

पहला सत्र :प्रशिक्षण का उद्देश्य तथा परिचय

सत्र का उद्देश्य:

- प्रशिक्षण की ज़रुरत और उद्देश्य पर चर्चा
- प्रतिभागियों का परिचय
- संकोच दूर करना

सत्र की कुल अवधि : 15 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सामग्री
1	प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा (आयोजक/ प्रशिक्षक/फैसिलिटेटर द्वारा)	7 मिनट	-अनुरूपण अभ्यास / उर्जावर्धक खेल का विवरण
2	परिचय/अनुरूपण अभ्यास (जोड़ी-परिचय खेल)	8 मिनट	

दूसरा सत्र: ग्राम/वार्ड बाल संरक्षण समिति का गठन एवं कार्य तथा कोरोना काल में हमारे शुभचिंतक और सहायक

सत्र का उद्देश्य :

- कोरोना लाकडाउन का बच्चों (और समुदाय) पर असर की पहचान कर यह मालूम करना कि इन मुद्दों पर हम सामूहिक रूप में क्या कर सकते हैं .
- यह पता लगाना कि ग्राम/वार्ड स्तर के बाल संरक्षण प्रयासों में कौन-कौन से लोग मददगार हो सकते हैं.
- ग्राम/वार्ड स्तर बाल सरक्षण समिति के गठन , मार्गदर्शक सिद्धांतों, मूल्यों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों पर चर्चा करना

सत्र की कुल अवधि : 45 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सामग्री
6.	कोरोना वृक्ष अभ्यास : इसके द्वारा *कोरोना विश्वव्यापी महामारी के कारण बच्चों पर आई मुश्किलों या बिपतियों की पहचान करना,* उन मुश्किलों का हल हम सभी मिल कर कैसे निकाल सकते हैं *तथा इन मुश्किलों को हल करने में कौन-कौन से लोग मददगार हो सकते हैं इसका पता लगाना .*	20 मिनट	-फ्लिप चार्ट पेपर/चार्ट पेपर - मार्कर पेन -टेप (चिपकाने वाला) -प्रोजेक्टर और स्क्रीन -माइक -लैपटॉप
7.	फिल्म) 1- बाल सरक्षण समिति का गठन यह) (यह फिल्म पूरी देखना7- (मिनट फिल्म : 2-'कोरोना काल में परिवार और समाज के सहायक ' (इस फिल्म का बीच बीच से कुछ हिस्सा देखना-3 मिनट	10 मिनट	- कोरोना वृक्ष का बड़ा चित्र- चार्ट पेपर पर (5 कापी) - फिल्म -1 (बाल सरक्षण समिति का गठन) - फिल्म 2- : 'कोरोना काल में
8.	बाल सरक्षण समिति के गठन एवं कार्यों के बारे में संक्षेप में चर्चा (खास कर मार्गदर्शक सिद्धांत, कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां आदि)	10 मिनट	परिवार और समाज के सहायक' - बाल सरक्षण समिति के
9.	भूतनाथ खेल	5 मिनट	गठन एवं कार्यों के बारे में पोस्टर - भूतनाथ खेल का विवरण

तीसरा सत्र: I-कोरोना काल में बच्चों से जुड़े ज्वलंत मुद्दे व इनकी निगरानी, II- सर्किल/घेरा

सत्र का उद्देश्य :

-कोरोना काल मे बाल मजदूरी, बाल विवाह सहित ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दो का बच्चों की शारीरिक तथा मानसिक सेहत और विकास के ऊपर पड़े असर के बारे मे जान कर ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों मे चर्चा करना .

- गॉव /वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण से संबंधित प्रयासों की उचित देख -रेख और निगरानी कैसे हो ,इस बारे मे बेहतर समझ विकसित करना .

-सर्किल/घेरा के बारे मे जानना और समझना ताकि इसे बच्चो के साथ प्रयोग मे लाया जा सके .

सत्र की कुल अवधि : 45 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सामग्री
1.	कोरोना काल मे बच्चो से जुड़े ज्वलंत मुद्दो(बाल मजदूरी,बाल विवाह..आदि) पर क्या करें और ऐसे बाल संरक्षण प्रयासो की निगरानी कैसे हो : ***बॉडी चार्ट (शरीर का रेखा चित्र) अभ्यास द्वारा इस विषय पर समूह कार्य व प्रस्तुतीकरण*** चर्चा कैसे करें : -कोरोना काल मे बच्चो से जुड़े 5 ज्वलंत मुद्दो की पहचान कर हर समूह मे उनमे से किसी एक मुद्दे पर नीचे बताये गए तरीके से चर्चा करना:- उदहारण के लिए अगर चुनी गई समस्या/ मुद्दा अगर बाल विवाह है तो, समूह चर्चा के प्रश्न इस प्रकार होंगे: *क- क्यों होता है बाल विवाह*	20 मिनट	-फ्लिप चार्ट पेपर/चार्ट पेपर - मार्कर पेन -टेप (चिपकाने वाला) -प्रोजेक्टर और स्क्रीन -माइक -लैपटॉप - बॉडी चार्ट (शरीर का रेखा चित्र((5 कापी) -फिल्म 3- बाल विवाह और बाल मजदूरी:एक दुविधा -फिल्म 4- देखरेख और निगरानी
	ख- क्या असर पड़ता है बाल विवाह का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव /दुष्परिणाम (मानसिक-शारीरिक ,विकासात्मक..) *ग- कैसे बाल विवाह बंद हों* *घ- कौन करेगा बाल विवाह को बंद कराने जैसे बाल संरक्षण प्रयासों की देखरेख और निगरानी* *चर्चा के उपरांत सभी बिंदुओं को बॉडी चार्ट में इस प्रकार लिखना –* • *चार्ट के ऊपर - मुद्दा/समस्या* • *चेहरे पर –* पॉइंट क (क्यों)-कारण • *शरीर के अन्दर -* पॉइंट ख (बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है) • *शरीर के बाएँ तरफ –* पॉइंट ग *(कैसे यह समस्या दूर हो)* • *शरीर के दायें तरफ –*पॉइंट घ (*कौन करेगा ऐसी समस्याओं को दूर कराने (जैसे बाल संरक्षण प्रयासों) की देखरेख और निगरानी- किसकी -क्या भूमिका होगी).*		-फिल्म 5-बच्चों के साथ सर्किल (यह फिल्म देखना) -सर्किल पोस्टर
2.	फिल्म 3- बाल विवाह और बाल मजदूरी:एक दुविधा- (इस फिल्म का पहले 5 मिनट तक का हिस्सा देखना) –5 मिनट (यह फिल्म देखना) फिल्म 4-देखरेख और निगरानी (यह पूरी फिल्म देखना)-5 मिनट (यह फिल्म देखना)	10 मिनट	
3.	फिल्म -फिल्म 5-बच्चों के साथ सर्किल (यह फिल्म देखना)	7 मिनट	
4.	सर्किल/घेरा – इसका उद्देश्य और प्रक्रियाएं - खुली चर्चा- (सर्किल पोस्टर के सहयोग से)	8 मिनट	

बॉडी चार्ट (शरीर का रेखा चित्र) अभ्यास

मुद्दा/ समस्या:.....

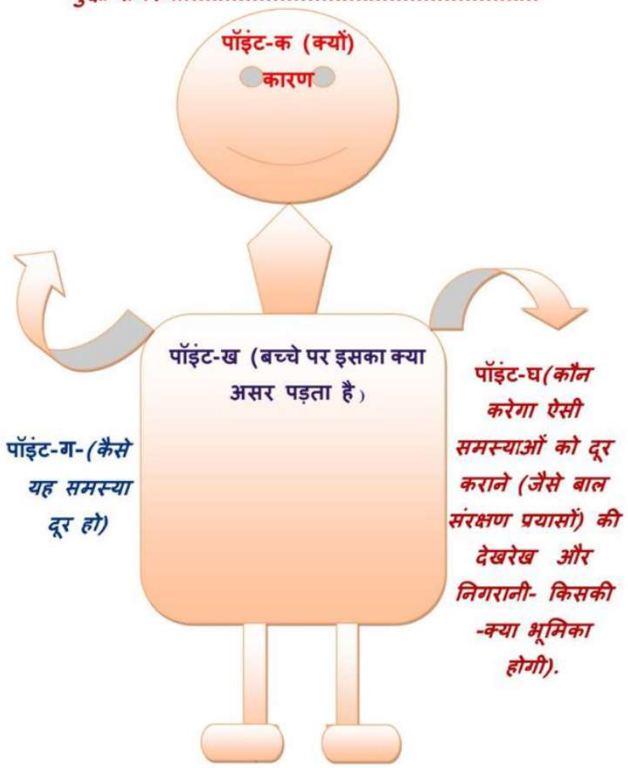

फैसिलिटेटर बतायें कि सर्किल का उद्देश्य है :

- मानवीय संबंधों को पुनर्स्थापित **करना ,**
- बच्चों को बोलने के लिए एक सुरक्षित स्थान **उपलब्ध करना ,**
- बच्चों को अपनी भावनाओं को साझा **करने का अवसर देना ,**
- बच्चों को बिभिन्न **विषयों पर** चर्चा **करने ,** सहमत -असहमत **होने का माहौल देना , तथा**
- बच्चों को उनसे संबंधित किसी भी विषय /मुद्दे पर विचार/चर्चा **करने का मौका देना है .**

इसके साथ ही फैसिलिटेटर सर्किल का मौलिक नियम बताएं तथा सेंट्रल पीस , टॉकिंग पीस तथा सर्किल कीपर का अर्थ समझाएं. साथ ही सर्किल में चर्चा किये जाने लायक कुछ विषयों के उदहरण भी दे .

चौथा सत्र: वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की कार्य योजना

सत्र का उद्देश्य :

-कोरोना काल में गांव/ब्लॉक में बाल संरक्षण गतिविधियों/प्रयासों के लिए व्यक्तिगत/समूहिक जिम्मेदारी की समझ विकसित करना

-कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की एक कार्य योजना विकसित करना

सत्र की कुल अवधि : 15 मिनट

सत्र की रूप रेखा :

क्रम	क्रिया कलाप	अवधि	सत्र सामग्री
3.	वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की बाल संरक्षण कार्य योजना (कोरोना काल में) :समूह कार्य -वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी द्वारा कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए उठाये जाने वाले कदमों की एक सूची बनाना *-किस कार्य के लिए कौन व्यक्ति या व्यक्ति समूह जिम्मेवार होगा* *-वह कार्य कितने दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है.*	13 मिनट	-फ्लिप चार्ट और मार्कर पेन
4.	समापन टिप्पणियां : प्रशिक्षण के अंत में सहभागियों द्वारा कार्यशाला से सीख पर समापन टिप्पणी देना	2 मिनट	

वी/डब्ल्यू.सी.पी.सी की बाल संरक्षण कार्य योजना (कोरोना काल में)

क्रम संख्या	कार्य (वी/डब्ल्यू सी.पी.सी द्वारा कोरोना काल में बाल संरक्षण के लिए उठाये जाने वाले कदमों की सूची)	जिम्मेदारी (इस कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्ति समूह)	समय सीमा (कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
समूह के सभी सदस्यों के नाम:			

अनुलग्नक

अनुलग्नक: A- बाल संरक्षण से जुड़े प्रमुख क़ानून व योजनायें

- 'बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम -1986
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (पोक्सो एक्ट), 2012
- किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)
- ग्राम/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति

अनुलग्नक: B- पी.एम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना

धन्यवाद